

Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Papers Laid On The Table by Ministers/Members.

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर – 2. राव इंद्रजीत सिंह जी।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:-

-) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.081 in Gazette of India dated 5th April, 2022.
- i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.082 in Gazette of India dated 28th April, 2022.
- ii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.084 in Gazette of India dated 14th June, 2022.

- (iv) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.085 in Gazette of India dated 14th June, 2022.
- v) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.086 in Gazette of India dated 14th June, 2022.
- vi) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.087 in Gazette of India dated 14th June, 2022.
- vii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.088 in Gazette of India dated 4th July, 2022.
- viii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.089 in Gazette of India dated 4th July, 2022.
- ix) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.090 in Gazette of India dated 6th July, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7186/17/22]

(2) A copy of the Nidhi (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.301(E) in Gazette of India dated 19th April, 2022 under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 7187/17/22]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर – 3. श्री पंकज चौधरी जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) पहचानविहीन आयकर प्राधिकारियों का न्यायाधिकार क्षेत्र योजना, 2022 जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1400(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 229(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) आयकर वंचनीय आंकलन का ई-आंकलन योजना, 2022 जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1466(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) पहचानविहीन जांच या मूल्यांकन योजना, 2022 जो 30 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1468(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2022 जो 04 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 256(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2022 जो 05 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 274(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) ई-विवाद समाधान योजना, 2022 जो 05 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1642(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठवां) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2022 जो 06 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 275(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2022 जो 21 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 307(अ) में प्रकाशित हुए थे और जिसका शुद्धिपत्र 25 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 313(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 22 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 06 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 341(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 09 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 10 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 346(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पंद्रह) पहचानविहीन शास्ति (संशोधन) योजना, 2022 जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2425(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) का.आ. 2426(अ) जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 12 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 118(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 404(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) का.आ. 2735(अ) जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 05 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 16 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7188/17/22]

- (2) कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपाबंधों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1440(अ) जो 29 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित की

गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7189/17/22]

(3) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (श्री गुरू तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 295 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 311 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (श्री जवाहर लाल दर्डा की जन्म-शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 317 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के 175 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 27 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 478 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सिक्का निर्माण (राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 04 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 508 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7190/17/22]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 249(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं.52/2003-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 278(अ) जो 06 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं.40/2015-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 501(अ) जो 01 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उनमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 247(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना सं.25/2021-सीमा शुल्क को संशोधित करना है ताकि भारत-मॉरिशस समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अनुसार मॉरिशस से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में कर छूटों को सघन किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 297(अ) जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 सितम्बर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, कच्चे कपास के आयात पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से अस्थायी छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) सा.का.नि. 328(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत यूएई समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के संबंध में प्रशुल्क छूट के पहले भाग को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 326(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं में तकनीकी और परिणामवर्ती संशोधन करने हैं ताकि उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित एचएस कोड को वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा किये गये परिवर्तनों, जो 1 मई, 2022 से प्रभावी हैं, के संगत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 327(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 02 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा-शुल्क में तकनीकी और परिणामवर्ती संशोधन करने हैं ताकि उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित एचएस कोड को वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा किये गये परिवर्तनों, जो 1 मई, 2022 से प्रभावी हैं, के संगत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 376(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल पर 13 रूपये प्रति लीटर से 5 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर 8 रूपये प्रति लीटर से 2 रूपये प्रति लीटर के अतिरिक्त सीमा-शुल्क के रूप में संकलित सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि. 378(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क को और संशोधित करना है, ताकि इस्पात और प्लास्टिक उद्योग द्वारा प्रयुक्त कतिपय

कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर आधारभूत सीमा-शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 379(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 01 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 11/2021-सीमा-शुल्क को और संशोधित करना है, ताकि एंथ्रेससाइट/कोकिंग कोल पर कृषि और अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 380(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची को संशोधित करना है, ताकि इस्पात उद्योग की कतिपय कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि और उद्ग्रहण किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 381(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 01 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा-शुल्क को संशोधित करना है, ताकि इस्पात उद्योग की कतिपय कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 392(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कूड सूरजमुखी तेल और कूड सोयाबीन तेल, दोनों के लिए 20 एलएमटी प्रति वित्त वर्ष प्रति खाद्य तेल का वैश्विक प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) प्रदान करना है ताकि ऐसे आयातों को 25 मई, 2022 से प्रभावी 2 वर्षों की अवधि के लिए, जो वित्त वर्ष 2022-23 है, आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से पूर्ण छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पंद्रह) सा.का.नि. 428(अ) जो 7 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क को संशोधित करना है, ताकि अन्तिम मेगा पावर स्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की समय अवधि 120 माह से 156 माह तक और प्रावधिक मेगा पावर परियोजनाओं के मामले में सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा की वैधता की अवधि को 126 माह से 162 माह तक विस्तारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा.का.नि. 500(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम और कूड और एटीएफ को उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उद्गाह्य अतिरिक्त सीमा-शुल्क, जो विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के समकक्ष है, से पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सा.का.नि. 486(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वर्ण पर बीसीडी दर को 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत बढ़ाकर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सा.का.नि. 487(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वर्ण आयात को समाज कल्याण अधिभार से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सा.का.नि. 488(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पुनर्भरण योजना के अंतर्गत आयातित स्वर्ण पर प्रयोज्य बीसीडी छूट की दर को 6.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.85 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बीस) सा.का.नि. 489(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-यूई सीईपीए के टीआरक्यू के अंतर्गत आयातित स्वर्ण पर बीसीडी दर को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सा.का.नि. 509(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 अक्टूबर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, कच्चे कपास के आयात पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7191/17/22]

- (5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 733(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सेनवेट क्रेडिट नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) संशोधन नियम, 2017 जो 23 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1442(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2017 जो 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ) में

प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पांच) सा.का.नि. 491(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. 05/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 492(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्पीट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीजल के लिये, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने पर, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 493(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची को संशोधित करके क्रूड पेट्रोलियम और एटीफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 494(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम, जिसका पिछले वित्त वर्ष में उक्त वस्तुओं का वार्षिक उत्पादन 2 मिलियन बैरल से कम था, को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 495(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा पिछले वित्त वर्ष में उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम से

अतिरिक्त है, को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) सा.का.नि. 496(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और डीजल पर प्रयोज्य शुल्कों जैसे आधारभूत उत्पाद शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर तथा एटीएफ पर आधारभूत उत्पाद शुल्क से, निर्यात के लिये क्लियर किये जाने पर, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 497(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एविएशन टर्बाइन ईंधन को पूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने के मामले के अलावा, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि. 498(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्पीट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीजल के लिये, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने पर, सड़क और अवसंरचना उपकर की दरें विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा.का.नि. 499(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 04/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) को संशोधित करना है ताकि निर्यात के लिये क्लियर की गयी वस्तुओं के लिए उक्त अधिसूचना के उपबंधों को अपवर्जित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 377(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल

पर 13 रूपये प्रति लीटर से 5 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर 8 रूपये प्रति लीटर से 2 रूपये प्रति लीटर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में लिए जा रहे सड़क और अवसंरचना उपकरण (आरआईसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (6) उपर्युक्त (5) की मद सं. (1) से (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7192/17/22]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि.246(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल और बांग्लादेश से आयातित जूट उत्पादों पर दिनांक 05.01.2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-सी.शु.(एडीडी) द्वारा आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 31 अगस्त, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.321(अ) जो 28 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "एन,एन"-

डाइसाइक्लोहेक्सिलकार्बोडिमाइड (डीसीसी)" पर 27 अप्रैल, 2027 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.350(अ) जो 11 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 21/2017-सीमा-शुल्क(एडीडी) को निरस्त करना है ताकि चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एमॉक्सीलीन, जिसे एमॉक्सीलीनट्राइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है पर एडीडी के उद्ग्रहण को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 374(अ) जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से “पॉलीयूरेथेन लेदर जिसमें पॉलीयूरेथेन के साथ एक तरफ या दोनों तरफ लेपित किसी भी प्रकार का कपड़ा शामिल है”, के आयात पर 19 मई, 2027 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 387(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ड्यूटी टेबल पर बदलाव के लिए 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है। उपरोक्त अधिसूचना के तहत चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित “डेकोर पेपर” पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 388(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित “सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर, चाकू और शौचालय की वस्तुओं को छोड़कर” के आयात पर पांच वर्ष

की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 403(अ) जो 30 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अनुरोध पर यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य या थाईलैंड से उद्भूत या वहां से निर्यातित “1500 श्रेणी और 1700 श्रेणी के स्टाईरीन बुटेडाईन रबर (एसबीआर)” के आयात पर 30 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 43/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को और आगे 31 अक्टूबर, 2022 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 406(अ) जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल और बंगलादेश से आयातित जूट उत्पादों पर 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को और आगे 30 नवम्बर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 417(अ) जो 3 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 3/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई) के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क आगे जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.430(अ) जो 8 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अनुरोध पर, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “नये/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर्स, चाहे वे ट्यूब सहित हों या

नहीं, और/या रबर फ्लैप (जिसमें ट्यूबलेस टायर्स भी शामिल हैं), जिनका नार्मल रिम डायामिटर 16” से अधिक हो, जो कि बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त होते हैं, के आयात पर 18 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 17 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 451(अ) जो 15 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित ‘फ्लोरो बैकशीट’, पारदर्शी को छोड़कर, पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 323(अ) जो 18 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से उद्भूत या वहां से निर्यातित “कॉपर ट्यूबों और पाइपों” के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 414(अ) जो 2 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से सैकरीन पर लगाए गए प्रतिकारी शुल्क के कथित वंचन के संबंध में अपवंचन जांच के पूरा होने तक, थाईलैंड से भारत में निर्यात किए गए सैकरीन का अनंतिम निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7193/17/22]

(8) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 236(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 01/2017-केन्द्रीय कर(दर) दिनांक 28 जून, 2017 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 237(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिये ईटों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिये 3 प्रतिशत की रियायती दर का प्रावधान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 242(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 10/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 7 मार्च, 2019 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 243(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 14/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 7 मार्च, 2019 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 354(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल,

2022 माह के लिये फॉर्म जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (छह) सा.का.नि. 355(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्यूआरएमपी योजना के अधीन आने वाले करदाताओं द्वारा अप्रैल, 2022 माह के लिये फॉर्म जीएसटी पीएमटी-06 में कर के भुगतान की नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सात) सा.का.नि. 397(अ) जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये फॉर्म जीएसटीआर-4 को फाइल करने में विलंब के लिये 01.05.2022 से 30.06.2022 तक की अवधि के लिये धारा 47 के अंतर्गत विलंब शुल्क में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) का.आ. 3070(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2022 की धारा 110 तथा 111 के खण्ड (ग) के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 513(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक विवरणी फाइल करने की आवश्यकता से 2 करोड़ रूपये तक के एएटीओ वाले करदाताओं को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि. 514(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिये फॉर्म जीएसटी

सीएमपी-08 प्रस्तुत करने की नियत तिथि को 31.07.2022 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (ग्यारह) सा.का.नि. 515(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये फॉर्म जीएसटीआर-4 को फाइल करने में विलंब के लिये विलंब शुल्क में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि. 516(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168क के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट अनुपालनों की तिथियों को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा.का.नि. 517(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (पहला संशोधन, 2022) करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7194/17/22]

- (9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 238(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 239(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिए ईटों की अंतर्राज्य आपूर्ति के लिए 6% की रिआयती दर को सशर्त बनाने का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7195/17/22]

(10) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 240(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 241(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिए ईटों की अंतर्राज्य आपूर्ति के लिए 3% की रिआयती दर को सशर्त बनाने का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 244(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 7

मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 02/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 245(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7196/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Buddhist Confederation, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Buddhist Confederation, New Delhi, for the year 2019-2020.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7197/17/22]

... (Interruptions)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): माननीय स्पीकर साहब ने बहुत नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि यहां तख्तियां नहीं लाना है। अगर कोई तख्तियां लेकर आते हैं, तो उन लोगों पर ऐक्शन लिया जाएगा, ऐसा माननीय स्पीकर साहब ने कहा है।...(व्यवधान) फिर

भी ये तख्तियां ला रहे हैं।... (व्यवधान) इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ कि जो माननीय स्पीकर साहब ने इस सदन में कहा है, माननीय स्पीकर साहब ने इस सदन में जो आदेश दिया है, उसका उल्लंघन हो रहा है।... (व्यवधान) It is a clear violation of the hon. Speaker's direction. I would urge you to take strict action against the hon. Members who are bringing the placards in the House. This is my request to you, Sir. ... (*Interruptions*)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती अन्नपूर्णा देवी**): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता सन्नियम और पद्यति) संशोधन विनियम, 2022 जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एनसीईटी-रेग/012/13/202-रेग.सेक.-एचक्यू में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7198/17/22]

15.03 hrs